

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर
(आयुष भवन, कमरा नं0 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)
E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाष नं-0141 2796295

क्रमांक : 2771

दिनांक: 08.02.2022


विज्ञप्ति

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मेसी (DAN&P) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की सूचना

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रवेश हेतु ऑफलाइन काउंसलिंग परिषद् कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जावेगी।

दिनांक	काउंसलिंग विवरण
14.02.2022	12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी
15.02.2022	12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी
16.02.2022	12वीं कक्षा में 65 प्रतिशत एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी
17.02.2022	12वीं कक्षा में 55 प्रतिशत एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी
18.02.2022	12वीं कक्षा में 55 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले समस्त अभ्यर्थी

1. विभागीय परिचारकों एवं दिव्यांगजनों की काउंसलिंग दिनांक 14.02.2022 (प्रथम दिन) आयोजित की जायेगी व आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
2. काउंसलिंग में प्रवेश के लिए 10,000/-रूपये का डिमांड ड्रॉफ्ट "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम देय होगा, साथ में लाना अनिवार्य है। प्रवेश लेने के बाद यह शुल्क रिफण्डेबल नहीं होगा।
3. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति अपने साथ लावें।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र काउंसलिंग दिनांक से छः माह पूर्व तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. संस्थाओं में रिक्त रही सीटों के लिए द्वितीय काउंसलिंग आयोजित की जायेगी, जिसकी सूचना यथासमय प्रकाशित कर दी जायेगी।
6. अन्य विस्तृत सूचना निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान- अजमेर की वेबसाइट <http://ayurved.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध होगी।
7. समस्त अभ्यर्थी एवं अभिभावक कोविड 19 गाईडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करें।
8. विद्यार्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने की सूचना **Text Message** के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।


(रजिस्ट्रार)

फीस के नियम

यह सहमति पत्र भरकर मूल प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा

1. काउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम 10,000/रूपये (अक्षरे: दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जावेगी।
2. प्रवेश के बाद फीस की राशि का शेष भाग दिनांक 02, मार्च 2022 तक सम्बंधित आयुर्वेद नर्सिंग संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा काउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000/- की राशि पुनः नहीं लौटायी जायेगी।
3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा काउंसलिंग के पश्चात् सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी भी आवेदन निरस्त कराया जाता है तो परिषद् कार्यालय में जमा कराई गई राशि रुपये 10,000/-में से कोई भी भाग सम्बंधित को नहीं लौटाया जायेगा।
4. प्रवेश हेतु कॉलेज आवंटित करने के बाद अभ्यर्थी को उपरोक्त निर्धारित तिथि तक सम्बंधित आवंटित नर्सिंग सेन्टर में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा तथा शेष फीस आवंटित नर्सिंग सेन्टर में जमा करवाना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में सम्बंधित संस्था में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्राशिक्षण केन्द्र, अजमेर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्था में अपना प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु काउंसलिंग के समय परिषद् में अग्रिम के तौर पर जमा राशि 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त संस्था का निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....

घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने फीस जमा कराने एवं लौटाने सम्बन्धी उपरोक्त नियमों को पूर्णतया पढ़ लिये हैं तथा मैं इनका पालन करने के लिये सहमत हूँ।

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

(वरियता क्रमांक व रजिस्ट्रेशन न.....)